तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या : 31/2021** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनूं का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनूं ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम अजाड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 99, 100, 101 कुल किता 3 रकबा 1.85 हैक्टर में राजेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम हिस्सा 1/6 दर्ज है तथा उक्त खाता संयुक्त खातेदारी का है। ग्राम अजाड़ी खुर्द में पुछताछ करने पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम रजनेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम सही नाम है। उक्त बाबत अभिशंसा सहित रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तहसील झुन्झुनूं के ग्राम अजाड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 99, 100, 101 में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम हिस्सा 1/6 के स्थान पर रजनेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम हिस्सा 1/6 शुद्ध करने बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसील झुन्झुनूं के ग्राम अजाड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 99, 100, 101 में प्रार्थी का अशुद्ध नाम राजेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम के स्थान पर रजनेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज.)	